न्यायालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,भदोही ज्ञानपुर।

नं0 मु0–233/2023

सी0 एन 0 आर 0 नं0 यू0 पी0 एस 0 एन 0 नं0–40163112023

उपनिरीक्षक मनोज कुमार राय बनाम (संदिग्ध)विनोद कुमार उर्फ करिया यादव।

दिनांक–08.01.2024

पत्रावली पेश हुई। वादी अनुपस्थित। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण के वादी मुकदमा उपनिरीक्षक मनोज कुमार राय मय हमराह कां0 कुलदीप सिंह के थाना हाजा के बहवाले रपट नं 0–02 समय 00.18 बजे दिनांक–22.05.2022 को रवाना होकर देखभाल क्षेत्र में मामूर होकर रोकथाम जुर्म जरायम संदिग्ध वाहन व्यक्तियों की चेकिंग में विवेकानन्द चौराहा पर मौजूद होकर पूर्व में रवाना शुदा कां 0 विजय सरोज व कां0 आनन्द प्रकाश को हस्बुल तलब कर साथ में लेकर चेकिंग कर रहा था कि उत्तर दिशा जौनपुर की तरफ से एक व्यक्ति मोटर साईकिल से तेजगति से आता हुआ दिखाई दिया। करीब आने पर जैसे मोटर साईकिल सवार ने पुलिस वालों को देखा तो घबराकर मोटर साईकिल मोड़कर भागना चाहा ,परन्तु मोटर साईकिल फिसलने से गिर पड़ा। पुनः उठकर भागना कि शक होने पर पहुंच मोटर साईकिल को रोका गया और इस तरह भागने का कारण व नाम पता पूछा गया तो अपना नाम विनोद कुमार उर्फ करिया यादव पुत्र स्व 0 बलिराम उर्फ बल्ली यादव, निवासी पनवरिया जलालपुर, थाना व जिला भदोही बताया। मोटर साईकिल के सम्बन्ध में कहने लगा कि इस मोटर साईकिल को वह जौनपुर से चोरी किया तथा नम्बर प्लेट फर्जी बदलकर उपयोग में लाता है। अचानक पुलिस को देखकर भागना चाहा परन्तु पकड़ा गया। मोटर साईकिल को देखा गया तो उसका चेचिस नं 0– 07 इ 09 डी03279 व इंजन नं0–07 इ 08 एम 32987 पाया गया। नम्बर प्लेट देखा गया तो उस पर यू0 पी0 66 ए 7042 अंकित है। उसी प्लेट पर अन्दर की तरफ यू0 पी0 62 एन 0 7082 अंकित है। ईचालान एफ के माध्यम से देखा गया तो नम्बर प्लेट पर लिखा दोनों तरफ का नम्बर फर्जी पाया गया। पकड़े गये अभियुक्त उपरोक्त को नियमानुसार बजाफ्ता व बाकायदा तलाशी ली गयी। उसके पहने पैण्ट के दाहिने तरफ कमर में खुसा एक अदद 315 बोर कट्टा बरामद हुआ। बायीं जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामद हुआ कट्टा कारतूस रखने के सम्बन्ध में अधिकार पत्र मांगा गया तो दिखाने में कासिर रहा। फर्द की प्रति अभियुक्त को दी गयी ,के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर मु0 अ 0 सं0–121 सन् 2022 धारा–411, 419, 420, 467, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत थाना भदोही में संदिग्ध विनोद कुमार

उर्फ करिया यादव के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ,जिसमें विवेचक द्वारा बाद विवेचना अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर दी गयी।

प्रथम सूचनादाता पर नोटिस जारी की गयी,जिसमें थाने से इस आशय की आख्या प्राप्त है कि उपनिरीक्षक मनोज कुमार राय वर्तमान समय में थाना गोपीगंज में नियुक्त हैं। मामले में विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य से मामले में किसी अभियुक्त व्यक्ति के विरूद्ध संज्ञान लेने के लिये पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अंतिम रिपोर्ट सं0–34/2022,मु0 अ0 सं0–121/2022 अन्तर्गत धारा –411,419,420,467,468,471 भा0 दं0 सं0 थाना भदोही, जिला भदोही स्वीकार किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भदोही–ज्ञानपुर।